जनजातीय कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 89

जनजातीय कार्य मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	3761.95	20.48	3782.43	4722.19	27.02	4749.21	4486.67	23.80	4510.47	4730.00	26.50	4756.50
	पूंजी	***70.00***	...	*70.00*	*70.00*	...	*70.00*	*63.33*	...	*63.33*	*70.00*	...	*70.00*
	जोड़	**3831.95**	**20.48**	**3852.43**	**4792.19**	**27.02**	**4819.21**	**4550.00**	**23.80**	**4573.80**	**4800.00**	**26.50**	**4826.50**
ब.अ. 2016-2017													
1. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	2251	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17.82	17.82
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.54	8.54
3. जनजाति क्षेत्र उप योजना (प्रभारित) को विशेष केंद्रीय सहायता													
3.01 केंद्रीय आयोजना	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
3.02 राज्य आयोजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75.00	...	75.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1173.00	...	1173.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1248.00*	...	*1248.00*
जोड़- जनजाति क्षेत्र उप योजना (प्रभारित) को विशेष केंद्रीय सहायता		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1250.00*	...	*1250.00*
4. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (।) के अधीन स्कीमों के लिए सहायता													
4.01 केंद्रीय आयोजना	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
4.02 राज्य आयोजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	199.00	...	199.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1196.00	...	1196.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1395.00*	...	*1395.00*
जोड़- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (।) के अधीन स्कीमों के लिए सहायता		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1400.00*	...	*1400.00*
5. जनजाति संस्थान													
5.01 राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता	4225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	70.00	...	70.00
5.02 जनजातियों द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन और विकास हेतु संस्थागत सहायता													

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5.02.01 केंद्रीय आयोजना	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	39.00	...	39.00
5.02.02 राज्य आयोजना	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
जोड़- जनजातियों द्वारा तैयार उत्पादों के विपणन और विकास हेतु संस्थागत सहायता		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*49.00*	...	*49.00*
5.03 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता													
5.03.01 केंद्रीय आयोजना	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
5.03.02 राज्य आयोजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	19.00	...	19.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*20.00*	...	*20.00*
जोड़- जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*21.00*	...	*21.00*
जोड़- जनजाति संस्थान		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*140.00*	...	*140.00*
6. जनजातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला स्कीम: वनबंधु कल्याण योजना													
6.01 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास													
6.01.01 केंद्रीय आयोजना	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
6.01.02 राज्य आयोजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	194.00	...	194.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*198.00*	...	*198.00*
जोड़- विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का विकास		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*200.00*	...	*200.00*
6.02 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	115.00	...	115.00
	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*120.00*	...	*120.00*
6.03 निगरानी और मूल्यांकन	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
6.04 विश्व बैंक प्रोजेक्ट-जनजातिय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.39	...	0.39
6.05 लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य													
6.05.01 केंद्रीय आयोजना	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	47.00	...	47.00
6.05.02 राज्य आयोजना	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	111.00	...	111.00
जोड़- लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*158.00*	...	*158.00*
6.06 जनजातीय पर्व, अनुसंधान सूचना और वृहत शिक्षा	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17.39	...	17.39
6.07 वन बंधु कल्याण योजना													
6.07.01 राज्य आयोजना	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
जोड़- जनजातियों के विकास हेतु अम्ब्रेला स्कीम: वनबंधु कल्याण योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*504.78*	...	*504.78*
7. जनजातियों-जनजातीय शिक्षा के विकास हेतु अम्ब्रेला स्कीम													
7.01 जनजातियों के बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला स्कीम													
7.01.01 केंद्रीय आयोजना	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00
7.01.02 राज्य आयोजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	165.00	...	165.00
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1284.22	...	1284.22
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1449.22*	...	*1449.22*
जोड़- जनजातियों के बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला स्कीम		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1454.22*	...	*1454.22*
7.02 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
7.03 विदेशों में अध्ययन हेतु अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
जोड़- जनजातियों-जनजातीय शिक्षा के विकास हेतु अम्ब्रेला स्कीम		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1505.22*	...	*1505.22*
8. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (II) के खंड क के अंतर्गत असम सरकार को सहायता	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.14	0.14
सं.अ. 2015-2016													
9. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	2251	1.36	14.45	15.81	2.80	17.76	20.56	1.00	16.59	17.59	...	...	...
मंत्रिपरिषद													
10. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.01	0.01	...	...	...
वनबंधु कल्याण योजना													
अनुसूचित जातियों का कल्याण													
11. राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना	2225	0.99	...	0.99	1.00	...	1.00	0.72	...	0.72	...	...	...
12. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के अन्य कार्यक्रम	2225	125.54	6.03	131.57	179.60	9.07	188.67	173.81	7.20	181.01	...	...	...
	3601	302.59	...	302.59	449.95	0.14	450.09	422.45	...	422.45	...	...	...
	जोड़	*428.13*	*6.03*	*434.16*	*629.55*	*9.21*	*638.76*	*596.26*	*7.20*	*603.46*	...	...	...
13. न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएफपी हेतु मूल्य श्रृंखला के माध्यम से लघु वन उत्पाद का विपणन तंत्र	2225	7.00	...	7.00	40.00	...	40.00	23.00	...	23.00	...	...	...
	3601	93.00	...	93.00	267.00	...	267.00	120.00	...	120.00	...	...	...
	जोड़	*100.00*	...	*100.00*	*307.00*	...	*307.00*	*143.00*	...	*143.00*	...	...	...
14. जनजातियों के बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला	2225	23.54	...	23.54	6.10	...	6.10	6.10	...	6.10	...	...	...

(करोड़ रुपए)

		वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
स्कीम													
	3601	1035.01	...	1035.01	923.22	...	923.22	996.52	...	996.52	...	...	...
14.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	207.52	...	207.52	207.52	...	207.52	...	...	...
14.02 प्रशासनिक व्यय के लिए प्रावधान	2225	...	...	...	18.00	...	18.00	0.50	...	0.50	...	...	...
जोड़- जनजातियों के बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला स्कीम		*1058.55*	*...*	*1058.55*	*1154.84*	*...*	*1154.84*	*1210.64*	*...*	*1210.64*	*...*	*...*	*...*
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण		**1587.67**	**6.03**	**1593.70**	**2092.39**	**9.21**	**2101.60**	**1950.62**	**7.20**	**1957.82**	**...**	**...**	**...**
राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता													
15. जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2225	0.02	...	0.02	12.00	...	12.00	...	...	...	...	...	...
	2552	...	...	...	125.00	...	125.00	75.00	...	75.00	...	...	...
	3601	1039.99	...	1039.99	1113.00	...	1113.00	1057.27	...	1057.27	...	...	...
	जोड़	*1040.01*	*...*	*1040.01*	*1250.00*	*...*	*1250.00*	*1132.27*	*...*	*1132.27*	*...*	*...*	*...*
16. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (I) के अधीन स्कीमों के लिए सहायता	2225	1.17	...	1.17	13.00	...	13.00	0.50	...	0.50	...	...	...
	2552	...	...	...	136.70	...	136.70	136.70	...	136.70	...	...	...
	3601	1131.99	...	1131.99	1217.30	...	1217.30	1255.58	...	1255.58	...	...	...
	जोड़	*1133.16*	*...*	*1133.16*	*1367.00*	*...*	*1367.00*	*1392.78*	*...*	*1392.78*	*...*	*...*	*...*
जोड़-राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता		**2173.17**	**...**	**2173.17**	**2617.00**	**...**	**2617.00**	**2525.05**	**...**	**2525.05**	**...**	**...**	**...**
जोड़-वनबंधु कल्याण योजना		**3760.84**	**6.03**	**3766.87**	**4709.39**	**9.21**	**4718.60**	**4475.67**	**7.20**	**4482.87**	**...**	**...**	**...**
सरकारी उद्यमों में निवेश													
17. राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	4225	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	63.33	...	63.33	...	...	...
18. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ – परियोजनाओं / योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	...	...	...
19. वास्तविक वसूलियां	2225	-0.25	...	-0.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***3831.95***	***20.48***	***3852.43***	***4792.19***	***27.02***	***4819.21***	***4550.00***	***23.80***	***4573.80***	***4800.00***	***26.50***	***4826.50***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
14. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	22225	...	...	...	70.00	...	70.00	63.33	...	63.33	70.00	...	70.00
जोड़		**...**	**...**	**...**	**70.00**	**...**	**70.00**	**63.33**	**...**	**63.33**	**70.00**	**...**	**70.00**

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	1.36	...	1.36	2.80	...	2.80	1.00	...	1.00	...	...	...
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	22225	598.87	...	598.87	1025.55	...	1025.55	803.81	...	803.81	362.78	...	362.78
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**600.23**	**...**	**600.23**	**1038.35**	**...**	**1038.35**	**814.81**	**...**	**814.81**	**372.78**	**...**	**372.78**
राज्य योजना:													
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	2167.00	...	2167.00	2277.22	...	2277.22	2388.80	...	2388.80	3179.22	...	3179.22
2. अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	24.71	...	24.71	19.10	...	19.10	6.60	...	6.60	...	...	...
3. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	43601	1040.01	...	1040.01	1457.52	...	1457.52	1339.79	...	1339.79	1248.00	...	1248.00
जोड़ - राज्य योजना		**3231.72**	**...**	**3231.72**	**3753.84**	**...**	**3753.84**	**3735.19**	**...**	**3735.19**	**4427.22**	**...**	**4427.22**
जोड़		**3831.95**	**...**	**3831.95**	**4792.19**	**...**	**4792.19**	**4550.00**	**...**	**4550.00**	**4800.00**	**...**	**4800.00**

1. **सचिवालय सामाजिक सेवाएं:** यह प्रावधान जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए है।

2. **एनसीएसटी:** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिवालय व्यय का भी प्रावधान है।

3. **जनजातीय क्षेत्र उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता(टीएसपी को एससीए):** जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के माध्यम से सहायता अनुदान देकर राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करता है। इस योजना के तहत मंत्रालय 23 टीएसपी राज्यों को अनुदान देता है। कार्यान्वयन के लिए रोजगार-सह-आय सृजनकारी कार्यकलापों तथा आधारभूत सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित अवसंरचना कार्य किये जाते हैं। जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता देने का अंतिम उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में मांग आधारित आय सृजनकारी कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा जनजातीय लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का उन्नयन है।

4. **संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के प्रावधान के तहत योजना:** इस प्रावधान के तहत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर का शेष राज्य के बराबर उत्थान के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाएं सृजित करने के लिए 23 टीएसपी राज्यों और 4 जनजातीय बहुल्य राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं ताकि, उन्हें विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके। अनुच्छेद 275 (1) के तहत सहायता, परियोजना आधारित है तथा अनुसूचित जनजातियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) स्थापित करने/संचालन के लिए निधि पोषित भी किया जाता है।

5. **जनजातीय संस्थान:** इस योजना के तहत आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जनजातियों को सहायता प्रदान करने हेतु वित्त के संचालन के लिए विभिन्न राज्यों में जनजातीय विकास निगमों के शेयर पूंजी निवेश में मंत्रालय की सहभागिता के लिए प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी सहायता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफ़डीसी) को प्रदान की जाती है जो चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तीय योजनाओं/परियोजनाओं पर अनन्य ध्यान देता है। अनुसूचित जनजातियों की विपणन सहायता तथा आजीविका गतिविधियों के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड तथा राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगमों आदि को भी सहायता अनुदान दिए जाते हैं। अनुसंधान तथा मूर्त व अमूर्त विरासत के प्रलेखन, जनजातीय लोगों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उन्हें सुदृढ़ करने तथा जनजातीय संग्रहालयों के सुदृढीकरण, जनजातीय त्यौहारों के आयोजन आदि के माध्यम से जनजातीय संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

6. **अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला योजना वन बंधु कल्याण योजना:** इस योजना के तहत अनुसूचित जनजातियों के संपूर्ण विकास हेतु विभिन्न उपायों के लिए प्रावधान किए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों को उनकी संस्कृति एवं विरासत को बनाए रखते हुए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के व्यापक तरीके से विकास के लिए सहायता अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सामाजिक आर्थिक उत्थान हेतु सहज वातावरण प्रदान करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका आदि क्षेत्रों में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने तथा सेवा रहित जनजातीय क्षेत्रों में अंतर को भरने के लिएस्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता अनुदान दिया जाता है। स्थानीय स्तर पर आवश्यक अवसंरचना के साथ लघु वन उत्पाद (एमएसपी) संग्रहकर्ता जो प्राथमिक रूप से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, की सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रूप में उनके द्वारा एकत्रित चिह्नित लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से उचित लाभ सुनिश्चित

किया जाता है। यह योजना अनुसूची-V क्षेत्रों वाले राज्यों में कार्यान्वित की जाती हैं।अनुसंधान/मूल्यांकन परियोजनाओं, संगोष्ठी/कार्यशालाओं तथा पुस्तकों के प्रकाशन, जनजातीय लोगों से संबंधित मुद्दों के लिए भी अनुदान दिये जाते हैं। उत्कृष्टता के केन्द्रों की देश में जनजातियों के विकास के लिए लंबी अवधि वाले तथा नीति उन्मुख अनुसंधान अध्ययनों के लिए उन्हें शामिल करने हेतु पहचान की गई है। योजनाओं की निगरानी तथा मूल्यांकन एवं इस मंत्रालय की परियोजनाओं पर व्यय के लिए प्रावधान बनाये गये हैं।

7. **अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अंब्रेला योजना - जनजातीय शिक्षा:** अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए अंब्रेला योजना का उद्देश्य अ.ज.जा. बच्चों की शिक्षा के गंभीर अंतरों को भरना है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों के वित्तीय बोझ को कम करने तथा शिक्षा की बेहतर पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से कैफेटेरिया मोड के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके आगे भारत में उच्च शिक्षा अर्थात् एम.फिल तथा पी.एच.डी. के साथ-साथ अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति तथा छात्रवृत्ति के माध्यम से चिह्नित उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्यवसायिक पाठ्यक्रम ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चयनित अ.ज.जा. के विद्यार्थियों को विदेश में स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तथा डॉक्टरोत्तर अध्ययन करने के लिए भी छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

8. **असम को अनुदान:** संविधान के अनुच्छेद 275(1) के द्वितीय प्रावधान के उप-नियम (क) के तहत असम सरकार को अनुदान का प्रावधान है।